



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012023-243203
CG-DL-E-25012023-243203

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2023/माघ 5, 1944

No. 48]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2023/MAGHA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 49(अ).—केंद्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों में और संशोधन करने प्रस्ताव करती है, जिनको एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन यथापेक्षित प्रकाशित किए गए हैं, और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा जिस दिन राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं;

2. उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

3. इन प्रारूप नियमों के बारे में आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (..... संशोधन) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में नियम 125ग में क्रम संख्या 7क के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम संख्या	भाग/संगठक/समुच्चय मानदंड	प्रदर्शन	यान श्रेणी	अपेक्षा/मानक	प्रारंभ होने की तारीख/वैधता
“7क	अधिभोगी कक्ष में अग्नि अलार्म और संरक्षण तंत्र		श्रेणी एम3 की टाइप-III बसें और स्कूल बसें	एआईएस-135	1 अक्टूबर, 2023”

[फा. सं. आरटी-11016/37/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम, अधिसूचना संख्या सा.का.नि: 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), दिनांक..... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2023

G.S.R. 49(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

Draft Rules

1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules 1989, in rule 125-C, for serial Number 7A following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Parts/components/ Assemblies/ Performance Parameter	Vehicle Category	Requirement / Standards	Date of commencement /validity
“7A	Fire Alarm and Protection system in occupant compartment	Type III buses of category M3 and school buses	AIS-135	1 st October, 2023”

[F. No. RT-11016/37/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. ____ (E) dated ____.